राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

सूचना का अधिकार
Right to Information
Government of Rajasthan

क्रमांक : एफ.20(101 / 127 / 2023)लोसू / आकाशि / 2005 / 463 दिनांक : 21-2-2023

स्मरण पत्र–प्रथम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय(कन्या / विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय : सूचना का अधिकार 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2022 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.5(1)शिक्षा / 3 / 2021 दिनांक 12.01.2023 एवं स्मरण पत्र–1 दिनांक 31.01.2023 (इस विभाग में प्राप्ति दिनांक 03.02.2023)के साथ संलग्न राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पत्र क्रमांक प.3(1) / रा.सू.आ. / वा.प्रति. / 2022 / 138 दिनांक 03.01.2023 एवं स्मरण पत्र–1 क्रमांक 390 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2022 (01 जनवरी,2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित प्रारूप–I, II व III में भरकर सूचना आयोग एवं विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि इस विभाग के आर.टी.आई समन्वयक अनुभाग के पत्र क्रमांक 308 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित तीनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर आपके महाविद्यालय की gmil ID पर Spreadsheet में "RTI Information-2022" दिनांक 18.02.2022 तत्पश्चात 10.02.2023 तक भरकर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, **लेकिन कुछ राजकीय महाविद्यालयों की सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है।**

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों ने उक्त सूचनाएं प्रेषित नहीं की है वे महाविद्यालय निम्नलिखित प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर आपके महाविद्यालय की gmil ID पर Spreadsheet में "RTI Information-2022" दिनांक **28.02.2023** तक भरकर भिजवायें, ताकि सूचना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को भिजवाई जा सके।

प्रारूप–I व–II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन व धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,राज., जयपुर समयावधि वर्ष 2022

जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि पश्चात में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6

लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त राशि रूपये में आवेदन शुल्क एवं सूचना शुल्क दोनों को मिलाकर	आयुक्तालय से महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	लम्बित प्रथम अपीलों की संख्या
7	8	9	10	11

प्रारूप–III

विभाग / लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(डॉ. चन्द्र भूषण जैन)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

क्रमांक : एफ.20(101 / 127 / 2023)लोसू / आकाशि / 2005 / 463-466 दिनांक : 21-2-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017 को उनके पत्रांक प.3(1) / रा.सू.आ. / वा.प्रति. / 2022 / 138 दिनांक 03.01.2023 एवं स्मरण पत्र–1 क्रमांक 390 दिनांक 19.01.2023 के संदर्भ में।
2. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के प.5(1)शिक्षा / 3 / 2021 दिनांक 12.01.2023 एवं स्मरण पत्र–1 दिनांक 31.01.2023 के संदर्भ में।
3. विभागीय वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।

SPIO एवं संयुक्त निदेशक,
प्रशासन (समन्वयक)